कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 54 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : मई 04 ,2018

ई–निविदा सह ई–नीलामी आमन्त्रण हेतु संशोधित सूचना

शासनादेश संख्या–1875/86–2017–57(सा0)/2017 टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक–14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद बांदा के रिक्त 43 बालू/मोरम के खनन क्षेत्रो को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु **विज्ञप्ति सं0–53/खनिज–30, बांदा दिनांक 25.03.2018 व संशोधित सूचना दिनांक 26.04.2018** जारी की गयी थी, जिसमें प्रथम चरण ई–निविदा (ई टेण्डर) की अवधि **दिनांक 03.05.2018 से दिनांक 06.05.2018 तक** नियत की गयी थी। **एम0एस0टी0सी0 लखनऊ के ई–मेल पत्र दिनांक 04.05.2018** द्वारा अवगत कराया गया है कि एम0एस0टी0सी0 में 05 मई और 06 मई को कुछ जरूरी सिस्टम रखरखाव और उन्नयन कार्य के कारण, इन दिनों बोली लगाने के दौरान भाग लेने वाले बोलीदाताओं को कुछ तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। एम0एस0टी0सी0 द्वारा अपने उक्त पत्र में प्रथम चरण ई–निविदा (ई–टेण्डर) की अवधि दिनांक 07.05.2018 समय सायं 5:00 बजे तक बढ़ाये जाने तथा प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) को खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन दिनांक 07.05.2018 समय सांय 5:00 बजे से दिनांक 08.05.2018 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः एम0एस0टी0सी0, लखनऊ के पत्र दिनांक 04.05.2018 के क्रम में उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये प्रथम चरण ई–निविदा (ई–टेण्डर) की अवधि व प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन निम्न तालिका के अनुसार संशोधित समझी जायें। शेष प्रक्रिया, नियम व शर्ते यथावत रहेगी।

प्रथम चरण ई–निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	**दिनांक 03.05.2018 से दिनांक 07.05.2018 तक**
प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) को खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	**दिनांक 07.05.2018 (सांय 05:00 बजे) से दिनांक 08.05.2018 तक**

(दिव्य प्रकाश गिरि)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक : 54 /खनिज–30, बांदा तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. **शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0** लिमिटेड, कोर्ट बिल्डिग–II फ्लोर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त क्षेत्र को एम0एस0टी0सी0 के पोटर्ल में संशोधित करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी, बांदा को दो दैनिक समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
6. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद बांदा को व्यापक प्रसार प्रचार हेतु।
7. प्रभागीय वन अधिकारी जनपद बांदा।
8. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बांदा को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
9. खान अधिकारी, बांदा को क्वैरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), बांदा को वेबसाइट banda.nic.in में अपलोड करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जिला संवाददाता दैनिक हिन्दुस्तान, अमर उजाला व दैनिक जागरण बांदा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समाचार का विज्ञापन न्यूनतम रेट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(दिव्य प्रकाश गिरि)
जिलाधिकारी, बाँदा।